प्रारूप–एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

रा.प्र.क्र. 08 / अ–82 / 2017–18 सुरजपुर, दिनांक 07 / 08 / 2020

भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत

नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थातः–

जिला	तहसील	ग्राम / नगर	क्षेत्रफल (हे.)	लोक प्रयोजन का विवरण
सूरजपुर	प्रेमनगर	फुलकोना	0.786	तारा–प्रेमनगर–रामानुजनगर मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि
		योग	**0.786**	

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई (दिनांक) 27.08.2020 को (समय) पूर्वान्ह 11.00 बजे (स्थान) ग्राम पंचायत भवन फुलकोना पर नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :–

कण्डिका	विवरण
एक– लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	तारा–प्रेमनगर–रामानुजनगर मार्ग चौड़ीकरण हेतु भूमि का अर्जन
दो– प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	42
तीन– अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	0
चार– प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	0
पांच– प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	0
छः– क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	हॉ
सात– क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	हॉ
आठ– परियोजना की कुल लागत	रुपये 142.02 करोड़
नौ– परियोजना से होने वाला लाभ	क्षेत्र का विकास होगा तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
दस– प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	संस्थान द्वारा उपलब्ध काराया जायेगा।
ग्यारह– परियोजना द्वारा प्रभावित हाने वाले अन्य घटक	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति / संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी / सुझाव देना हो तो विहित तिथि / समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

अ.वि.अ.(रा.)
एवं भू–अर्जन अधिकारी
सूरजपुर, जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

कलेक्टर
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर,(भू–अर्जन) सूरजपुर (छ0ग0)

–:: आदेश ::–

सूरजपुर ,दिनांक 16 /03/2020

क्रमांक 1135/भू–अर्जन/2020 :: अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं भू–अर्जन अधिकरी सूरजपुर के प्रस्ताव अनुसार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) 2016 के नियम 15 के अन्तर्गत् ग्राम तारा–प्रेमनगर–रामानुजनगर मार्ग सड़क चौड़ीकरण बावत् भूमि अधिग्रहण के लिए **ग्राम–फुलकोना** तहसील–प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर (छत्तीसगढ़) के निजी भूमि प्रस्ताव में सामाजिक समाघात निर्धारण बावत् दल गठन का प्रस्ताव के आधार पर सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु निम्नानुसार दल का गठन किया जाता है :–

(क) गैर शासकीय सामाजिक वैज्ञानिक –	श्री विष्णु प्रसाद सोनी आ. श्री रामलखन सोनी, निवासी – ग्राम–करमिटिकरा (सलका)पोस्ट–लहपटरा, तहसील–लखनपुर, जिला–सरगुजा(छ.ग.)
(ख) स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि –	(1)श्रीमती प्रेमकुमारी मानिकपुरी, उप सरपंच (2)श्री सतीश कुमार यादव, पंच
(ग) पुर्नव्यवस्थापन विशेषज्ञ –	श्री पी.एल.पैकरा, अ.वि.अ., लो.नि.वि. (भ/स) प्रेमनगर
(घ) परियोजना से संबंधित विषय का तकनीकी विशेषज्ञ –	श्री शिवबचन सिंह, उप अभियन्ता, लो.नि.वि.(भ/स) प्रेमनगर
(ड.) प्रभावित क्षेत्र का तहसीलदार –	श्री उमेश कुमार कुशवाहा, नायबतहसीलदार, प्रेमनगर।

उपरोक्त क्रमांक (ग) समिति के अध्यक्ष एवं अन्य समिति के सदस्य होंगे। समिति में अनुविभागीय अधिकारी (रा0) सूरजपुर जो पुर्नवास प्रशासक हैं, उनके मार्गदर्शन में सामाजिक समाघात निर्धारण संबंधी कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करेंगे एवं प्रतिवेदन पुनर्वास प्रशासक को समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर
सूरजपुर,(छ.ग.)

पृ.क्रमांक 1135A/भू–अर्जन/2020

सूरजपुर ,दिनांक 16 /03/2020

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटलनगर रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
2. आयुक्त, सरगुजा–संभाग, अम्बिकापुर को सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, भू–अर्जन शाखा, जिला कार्यालय, सूरजपुर को सूचनार्थ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा0), सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. परियोजना प्रबंधक,छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, गुदरी चौक,अंबिकापुर जिला–सरगुजा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित्।
6. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सूरजपुर, (छ.ग.) को सूचनार्थ।
7. तहसीलदार प्रेमनगर, जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, प्रेमनगर, जिला सूरजपुर छ.ग. को सूचनार्थ।
9. सर्व संबंधित श्री ....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
सूरजपुर,(छ.ग.)